

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

इग्नेस कुजूर,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग।

मुख्य अभियंता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची।

उप सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड राँची।

उप सचिव,
नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

उप सचिव,
स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची।

उप सचिव,
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखण्ड राँची।

राँची, दिनांक :-

विषय:-मृत/ सेवानिवृत्त सहित वर्तमान में कार्यरत कनीय अभियंताओं को ACP लाभ की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ACP लाभ स्वीकृति की अंतिम तिथि 01.09.2008 निर्धारित है। लगभग 08 वर्ष के बाद भी उक्त लाभ हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो रहा है। जो खेदजनक है। कतिपय कनीय अभियंता द्वारा स्वयं अथवा उनके आश्रित द्वारा ACP लाभ हेतु न्यायालय वाद दायर किया जाता है जिससे विभाग की छवि धूमित होती है।

वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि अपने प्रक्षेत्र में वैसे कनीय अभियंता (मृत एवं सेवानिवृत्त सहित) जिन्हें ACP लाभ अभी तक नहीं मिला है, उनका प्रस्ताव विहित प्रपत्र में 30 मई 2016 तक विभाग में निश्चित रूप से प्राप्त करा दिया जाय।

निर्धारित अवधि के पश्चात अगत किसी कनीय अभियंता का ACP लाभ हेतु प्रस्ताव प्राप्त होता है अथवा निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में किसी न्यायालय द्वारा प्रतिकूल आदेश प्राप्त होता है तो इसके लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता/ अधीक्षण अभियंता/ मुख्य अभियंता अथवा प्रभारी पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन,

ह./-

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

1316 ✓

राँची, दिनांक :- 29-04-16

प्रतिलिपि:-वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव।